



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०  
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)

7/23, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ-226027

e-mail:nulmup@gmail.com

website:www.sudaup.org



पत्रांक-५००६/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-III

दिनांक-०९/१०/२०१८

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र०।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट/परियोजना निदेशक,  
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, सूडा, उ०प्र०।

**विषय : DAY-NULM के घटक SM&ID के अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्र के अपवंचित समुदायों/सैनीटेशन कर्मियों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किये जाने का लक्ष्य निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं०-K-12012(14)/7/2017-UPA II (9023741) दिनांक 27.09.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र के अपवंचित समुदायों को गतिशील कर स्वयं सहायता समूहों में गठित किये जाने हेतु नगरीय निकायों को लक्ष्य आवंटन के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि अनौपचारिक क्षेत्र के अपवंचित समुदाय यथा सैनीटेशन सेक्टर वर्कस कन्सट्रक्शन लेबर, मैनुअल रिक्शा चालक आदि गम्भीर परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा संघर्ष मय जीवन व्यतीत करने पर बाध्य हैं। उन्हें DAY-NULM से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता है, विशेषकर मैनुअल स्कैवेंजर, रैग पिकर्स एवं अन्य अनौपचारिक सैनीटेशन वर्कस को त्वरित गति से मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना है।
3. उक्त निर्देश के अनुक्रम में इस घटक हेतु कार्यादेश सं०-2514/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-III दिनांक 02.08.2018 के माध्यम से एस०एच०जी० गठन हेतु आवंटित लक्ष्यों में न्यूनतम 10% एस०एच०जी० गठन अनौपचारिक क्षेत्र के अपवंचित समुदायों से गठित किये जाने हेतु आरक्षित किया जाता है। जिन निकायों में अद्यतन एस०एच०जी० गठन का लक्ष्य पूर्ण करके उनका एम०आई०एस० पर अपलोड कर दिया गया है, उन सभी निकायों के लिए आवश्यक है कि वह एम०आई०एस० पर अपलोड किये गये विवरण के प्रमाण के साथ शहर को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अधिकतम 10% तक अतिरिक्त लक्ष्य आवंटन हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सकता है।
4. मिशन के अन्तर्गत चयनित सभी शहरों के अनौपचारिक क्षेत्र के सभी अपवंचित समुदायों को मिशन अवधि में प्रत्येक दशा में चिन्हित कर चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जाना है।
5. अनौपचारिक क्षेत्र के अपवंचित समुदायों को DAY-NULM से लाभान्वित किये जाने हेतु गतिशील कर एस०एच०जी० में संगठित किया जाना है, जिसके लिए आवश्यक है कि इन अपवंचित समुदायों को समूहों में संगठित किये जाने हेतु कतिपय सी०ओ० एवं आर०ओ० विशेष को इस कार्य हेतु नामित किया जाये।

6. अपवंचित समुदायों को लाभान्वित किये जाने के उपरान्त विवरण भारत सरकार के एम0आई0एस0 पोर्टल पर ड्रापडाउन मीनू में उपलब्ध सैनीटेशन सेक्टर वर्क्स के एडीशनल ड्रापडाउन मीनू में नियमित इन्ट्री करते हुए अपडेशन किया जाय।
7. अनौपचारिक क्षेत्र के अपवंचित सैनीटेशन कर्मियों एवं अन्य अपवंचित व्यवसाय आधारित पुरुषों के स्वयं सहायता समूह भी संशोधित गाइडलाइन के अनुसार गठित किया जा सकता है।
8. अनौपचारिक क्षेत्र के अपवंचित समुदायों के गठित होने वाले स्वयं सहायता समूहों को उस क्षेत्र विशेष हेतु गठित एवं पंजीकृत ए0एल0एफ0 में भी सम्मिलित किया जाना है।
9. अनौपचारिक क्षेत्र के अपवंचित समुदायों के एकीकृत विकास हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर सुनिश्चित किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में तत्काल कार्यवाही किये जाने एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीय  
  
(उमेश प्रताप सिंह)  
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव  
प्रतिलिपि-

1. विशेष सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा को अनुपालनार्थ।
3. समस्त संदर्भ संस्थाओं को अनुपालनार्थ।
4. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)  
मिशन निदेशक

1073

1. Apu (HOCAN)  
2. S. K. ...  
3. ...

K-12012(14)/7/2017-UPA II (9023741)

Government of India  
Ministry of Housing and Urban Affairs  
NULM Division

215B, Nirman Bhawan,  
New Delhi, dtd. 27<sup>th</sup> September 2018

To,  
The Mission Directors, SULM  
All States/UTs

**Subject: Advisory on formation of informal sanitation workers' SHGs and allocation of targets by States**

I am directed to refer to the subject cited above and to say that there are certain occupations prevalent in Indian cities wherein the conditions of work are particularly hazardous, threatening the life and health of workers. These vulnerable occupations include sanitation sector workers, construction labour, cycle-rickshaw pullers, and many others involving manual labour in harsh conditions with serious health consequences. Particularly with respect to manual scavengers, rag pickers and other informal sanitation workers, there is an urgent need to ensure that DAY-NULM benefits are made available and a pathway out of poverty is provided. States are advised to ensure that these communities are brought into the fold of DAY-NULM.

2. SHGs of informal sanitation workers and other vulnerable occupations may be formed as per the following guidelines -

1. States are advised to allocate targets for formation and support to SHGs of informal sanitation workers and other vulnerable occupation groups, with the minimum target being 10% of the State's annual group formation target. ULB wise targets may be fixed by States as per the local population engaged in vulnerable occupations.
2. Target allocation would be done annually, with the aim to cover 100% of the population of informal sanitation workers and the urban poor in other vulnerable occupations in all ULBs where DAY-NULM is active, by 2022.
3. Appropriate number of Community Organizers (CO) and/or Resource Organizations (ROs) may be dedicated to working with vulnerable occupation groups
4. The details of SHGs of informal sanitation workers and other vulnerable occupation groups may be entered in the DAY-NULM MIS. A drop-down menu is available in the MIS for entering the sector of livelihoods activity of SHGs, with an additional drop-down menu for sub-sectors within sanitation work. These details may be updated promptly for all groups of sanitation workers.

e-mail

AD/APONULM

*[Handwritten signature]*  
05/10/18


SMM (SMM)

*[Handwritten initials]*  
S/P

5. SHGs of informal sanitation workers and other vulnerable occupation groups may include male members as per the revised Social Mobilization and Institutional Development (SMID) guidelines.
6. The groups must be federated into registered Area Level Federations (ALFs) following the usual processes as per the DAY-NULM guidelines. ULBs may decide the minimum number of groups for an ALF based on local conditions.
7. States may offer the benefits available to vulnerable occupation groups in convergence with other welfare programs of the central and state government departments.

3. It is, therefore, requested that necessary action may kindly be taken at the earliest.

Your sincerely,

  
(Niraj Kumar)

Director(NULM)

Tel:011-23062850